

२६/३/२५ पत्रावली आज स्वयं जारी के उपलब्ध
होने पर रिकार्ड ले लम्ब की जाती
कमी जारी ने उपस्थिति होकर ध्यान
दियाया कि दिनांक २०/६/२५ की कारदेशिका
के पैरा ल. ७ में विक्रय पत्र की दिनांक
२३/१२/२३ के ल्यान पर १८/१२/२३
लिपिनीप मुद्रित ले अंकित हो गई, जिसे
शुद्ध किया जावे। अतः आदेश १५२८८८
के तहत विक्रय-पत्र दिनांक १८/१२/२३ के
लान पर २३/१२/२३ शुद्ध किया जात है।
पत्रावली पुनः केवल शुमार होकर
दल नम्बर ले कर हो

(२)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)